राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

साधूराम बनाम बंशीधर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	51/2020	
19/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी मौखिक बहस माने जाने का निवेदन किया | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत दुरुस्ती इन्द्राज, खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया | विवादग्रस्त भूमि सम्वत 2024-27 तक घीसा के नाम दर्ज रही तत्पश्चात विवादग्रस्त भूमि के नये खसरा नम्बर 1649 व 1650 बनाये जाने पर सैटलमेंट द्वारा खातेदारी भूमि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 के नाम दर्ज कर दी गयी, जिसके पश्चात दिनांक 05/05/1989 को रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 ने भूमि का बैचान कर दिया | रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया गया कि दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया है, जिस कारण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अब चलने योग्य नही है | जिस पर अपीलार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सन 1990में कोई राजीनामा नही हुआ है, जिसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री दिनांक 05/02/2020 पारित करते हुए अपीलार्थी का वाद ख़ारिज किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | रेस्पो. ने फर्जी हस्ताक्षर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया, जिसे बाद में ख़ारिज करवा लिया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर अपीलार्थी ने रेस्पो. के विरुद्ध FIR दर्ज करवायी गयी, जो सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है | रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में यह कही अंकित नही किया कि रजिस्ट्री में साक्ष्य का बिन्द नही लिखा है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 05/02/2020 पारित करते हुए रेस्पो. का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर अपीलार्थी का वाद ख़ारिज किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में सीताराम द्वारा वाद पेश किया गया था, जिसमे इन्हें दिनांक 21/03/1990 को अन्तरिम स्थगन पारित किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी	

दिनांक 10/10/1990 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया गया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीताराम द्वारा प्रस्तुत दावे में विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2650 रकबा .57 हैक्टेयर के सम्बन्ध में राजीनामा पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिनांक 10/10/1990 राजीनामे के आधार पर पारित किया गया था | सोहन सिंह से विवादगस्त भूमि का रेस्पो. ने जरिये रजिस्टर्ड डीड से दिनांक 01/11/1988 को क्रय किया है | रजिस्टर्ड दस्तावेज में साक्ष्य के तौर पर सीताराम स्वयं के हस्ताक्षर है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा न्य दावा प्रस्तुत किया गया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा रेस्पो. के पक्ष में स्वीकार किया है,जिसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत अपीलार्थी का वाद सही रूप से ख़ारिज किया गया है | सीताराम आज भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी संख्या 4 है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 05/02/2020 को रेस्पो. का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी का वाद ख़ारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधिनस्त न्यायालय द्वारा घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती के विचाराधीन वाद को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर सरसरी तौर पर ख़ारिज कर दिया गया है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती के प्रकरण में यदि कोई विधिक बिन्दु जाहिर होता है तो उसके सम्बन्ध में अतिरिक्त तनकी कायम कर साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विवेचन करते हुये घोषणा के वाद का निस्तारण किया जाना न्यायोचित्त होता है परन्तु अधिस्न्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पेश होने पर प्रारम्भिक स्तर पर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये घोषणा के वाद को ख़ारिज करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है | ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/02/2020 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

साधूराम बनाम बंशीधर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5/1/2020	

जाप्ता दीवानी के माध्यम से उल्लेखित विधिक बिन्दुओ के सम्बन्ध में अतिरिक्त तनकी कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत विवेचन करते हुये विस्तृत विवेचनात्मक एवं विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर